संख्या-78/2015/1037/एक-6-2015-142(14)/2015

प्रेषक,

डा0 अशोक कुमार वर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 18 सितम्बर, 2015**

विषय: बेली उपरहार बेली मुस्तखार्जा, फतेहपुर बिछुआ हासिमपुर, इलाहाबाद में स्थित भूमियों में दोहरी प्रविष्टि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त् विषयक शासन के पत्र संख्या-395/एक-6-2015-रा0-6, दिनांक 21-04-2015, 562/एक-6-15-142(14)/15, दिनांक 22-05-2015, संख्या-607/एक-6-2015-142(14)/15, दिनांक 02-06-2015, पत्र संख्या- 830/एक-6-15-142(14)/15, दिनांक 22-07-2015 संख्या- 830/एक-6-15-142(14)/15, दिनांक 22-07-2015, पत्र संख्या- 904/एक-6-15-142(14)/15, दिनांक 10-08-2015, एवं पत्र संख्या-979/एक-6-2015-142(14)/15, दिनांक 27-08-2015 के क्रम में श्री शशिकान्त दूबे के पत्र दिनांक 20-08-2015 की संलग्नक सहित छायाप्रति संलग्नकर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु वांछित आख्या अभी तक अप्राप्त है।

2- अत: अनुरोध है कि प्रश्नगत मामले में की गयी कार्यवाही की आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 अशोक कुमार वर्मा)
सचिव।

संख्या-1037(1)/एक-6-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद ,उ0प्र0 लखनऊ। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(डा0 अशोक कुमार वर्मा)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in